कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खंड पन्ना, म0प्र0

निविदा आमंत्रण सूचना कमांक 35/2012–13 दिनांक 26–10–2012

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पृथक–पृथक मोहरबंद निविदायें प्रपत्र 'ए' प्रतिशत दर पर निम्नलिखत कार्य हेतु प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग भोपाल के यूनीफाईड एस.ओ.आर. वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज पाइप लाइन्स, जो दिनांक 2 दिसम्बर 2009 से प्रभावशील निविदा जारी दिनांक तक संशोधनों पर नवीन प्रणाली (लोक निर्माण विभाग के द्वारा) के तहत सी श्रेणी व उससे उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 9–11–2012 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 3:30 बजे उपस्थिति निविदाकारों या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 8–11–2012 तक कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा. यांत्रिकीय विभाग खंड पन्ना के कार्यालय से कार्यालयीन समय मे प्राप्त किए जा सकते हैं ।

कार्य का विवरण– पुलिस लाईन पन्ना मे जी0आई पाईप लाईन बिछाने, जोड़ने एवं टेस्टिंग कार्य मय बाल्ब चैम्बर आदि निर्माण कार्य सहित।

ग्रुप क्र.	ग्राम/योजना का नाम	विकास खंड	कार्य की मात्रा	अनु. लागत लाख में	धरोहर राशि रुपये में	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य समयावधि
1	पुलिस लाईन पन्ना	पन्ना	3000 मीटर	3.30	6600/–	2000/–	सी एवं उससे ऊपर	2 माह

निविदा की शर्ते –

(1) निविदायें इस निविदा सूचना के पैरा में वर्णित पात्र ठेकेदारों से ही प्राप्त की जावेगी। यदि किसी अपात्र ठेकेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। एवं ऐसे ठेकेदार द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी जप्त मानी जावेगी।

(2) यह केवल संक्षिप्त निविदा सूचना है कार्य का विस्तृत विवरण जैसे ड्राइंग स्पेशीफिकेशन तथा कार्य की विस्तृत शर्त कार्यालयीन समय के दौरान निविदा प्राप्ति से एक दिन पूर्व तक संबंधित कार्यालयों से ठेकेदारों द्वारा देखी जा सकेगी ।

(3) शासन द्वारा निर्धारित टेक्स और रायल्टी आदि ठेकेदार को देना होगी।

(4) कोरे निविदा प्रपत्र डाक से प्राप्त करने लिए रु. 100/– अलग से देना होगा। डाक द्वारा बिलम्ब से प्राप्त होने या गुम जाने की जवाबदारी विभाग की नहीं होगी। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

(5) निविदा में सम्मिलित कार्य की मात्रा घटाई/ बढ़ाई जा सकती है।

(6) निविदा की दरों की वैधता 120 दिन तक रहेगी।

(7) सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

(8) ठेकेदार को कोरे निविदा प्रपत्र क्रय हेतु आवेदन पत्र के साथ वैध पंजीयन एवं वर्ष 2011–12 का आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवं पेन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

(9) धरोहर राशि के बिना निविदायें प्राप्त/अथवा खोली नहीं जावेगी।

(10) सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि सभी निविदायें को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है।

(11) कार्य के दौरान किसी हानि एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी।

(12) कार्य लक्ष्य एवं आवंटन की उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जावेगा।

(13) कार्य में उपयोग होने वाला पाइप व उसकी फिटिंग सामग्री विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी, जो विभाग के केन्द्रीय/ उपखण्डीय भंडार गृह से ठेकेदार को प्राप्त करना होगी तथा अपने स्वयं के व्यय पर कार्य स्थल पर ले जाना होगी। चूंकि कार्य समय सीमा में ही किया जाना है, अतः किसी सामग्री विशेष की अनुपलब्धता पर ठेकेदार को बाजार से उचित गुणवत्ता की सामग्री कय कर उपयोग में लाने की अनुमतिं दी जा सकेगी। ऐसी उपयोग में लाई गई सामग्री का भुगतान, ठेकेदार द्वारा सामग्री के प्रस्तुत देयक राशि अथवा सामग्री की म.प्र. लघु उद्योग निगम में दर्ज दर, जो भी कम होगी के अनुसार किया जावेगा। सामग्री की लागत पर निविदाकार द्वारा प्रेषित दर (सी.एस.आर. से ऊपर) देय नही होगी।

(14) कार्य स्थल पर सावधानी सूचना संकेत का उपयोग ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर पर करना आवश्यक होगा। खुदी हुई पाइप लाइन एक दिवस से अधिक खाली नहीं रहेगी।

(15) टेलीफोन लाइन/रोड कटिंग आदि की स्वीकृति संबंधित विभाग/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत से ठेकेदार को स्वयं प्राप्त करना होगी। इस हेतु विभाग द्वारा मात्र अनुशंसा पत्र ही जारी किया जावेगा।

(16) यह सकर्म निविदा होगी। अतः म.प्र. वाणिज्य कर अधिनियम के धारा 35 (1) के अनुसार वर्क्स कान्ट्रेक्ट पर 2 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर कटौती ठेकेदार के देयक से की जावेगी एवं प्रपत्र 42 में प्रमाण पत्र दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त टिन नम्बर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(17) म.प्र. वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. 264/आर–444/ब–1/2009 भोपाल दिनांक 31 मार्च 2009 के अनुसार निविदाकार का पंजीयन वाणिज्य कर विभाग अन्तर्गत होना अनिवार्य है (टिन नम्बर) प्रमाण–पत्र की सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्यथा निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

(18) एक प्रतिशत उपकर मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल को देय होगा जो ठेकेदार के बिल से काटा जावेगा ।

(19) कार्य इस कार्यालय की स्वीकृति के बिना सबलेटिंग नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना, म0प्र0
26/10/12